

शान्तिदेवी का 23 वें वेंचन का

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

प्राथम्य अहकाम

5/8010 आज्ञा विस्तृत रूप से

विशेष विवरण

प्रकरण कुलप्य 31 गत
माहके भी घालना के दिनांक
21/05/18 को पेश हो

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

21/05/18

प्रकरण राजस्व लोक अदालत में
पेश हुआ, प्रकरण का अवलोकन
किया गया प्रकरण दिनांक 06-05-10
को ड्रॉ राजिस्ट्र होकर 36 साल
से लॉक है, जो दिनांक 26-11-14
से साक्ष्य सापल में निपत चल
रही है बार-बार अवसर दिये
जाने उपरान्त भी साक्ष्य पूर्ण नहीं
करवाये गये। साक्ष्य बन्द दिये
गते हैं। प्रकरण में -आयालय
आदेश दिनांक 12/11/2009, डार)
अप्राथीजिन के गृह बागावत
पौराणी के ख.नं. 1058 के जारी
भाग की प्रकृति के आदेश
जारी हैं। पत्रावली, पत्रावली पर
उपलब्ध इस्तोवेजां विधि के संगत
प्रावधानों का अवलोकन किया गया।
प्रकरण में प्राथीजिन द्वारा ऐसी
को इस्तोवेज मॉडा फोटो या अन्य

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



फर्द अहकाम

शांति देवी को बनाम V/S बंशीधर चौधरी

नाम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

केस संख्या 5/2010

पारम्परिक अवमानना

क्रम संख्या

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही

आज्ञा विस्तृत रूप से



साइप पेश नहीं किया गया है, जिससे यह साबित होता है कि न्यायालय आदेश की अवहेलना हुई है। फिर भी मजरे का हस्तगत प्रार्थनापत्र इस कदम निस्तारित किया जाता है कि किसी भी पक्ष द्वारा न्यायालय आदेश की अवहेलना की जाती है, तो पुनः प्रार्थनापत्र पेश करने के लिए दोनों पक्ष स्वतंत्र रहेंगे। हस्तगत प्रार्थनापत्र साइप अभाव में स्वीकृत किया जाता है। निरपेक्ष मजरे का हस्तांतरण किया गया। पत्रवाही के जल शुद्धाण्डा लिख डफ्टर रहे।

(Signature)
21/5/18

पीठासीन अधिकारी
राजस्व लोक अदालत
न्याय आपके द्वार-2.8
उपखण्ड- विराटनगर (जयपुर)